

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

**पटना नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों के लिए होल्डिंग टैक्स की गणना एवं भुगतान हेतु सुविधा**

**बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 जनवरी 2010 तक करें और 15% का छूट पायें।**

पटना नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग्स को वेबसाइट [www.patnanagarnigam.org](http://www.patnanagarnigam.org) पर डाल दिया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपने होल्डिंग के लिए देय होल्डिंग टैक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

होल्डिंग टैक्स का बकाया 31 जनवरी, 2010 तक भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी देय होल्डिंग टैक्स है उसमें 15 प्रतिशत की राशि काटकर नागरिक भुगतान कर सकते हैं।

**इसके अतिरिक्त वर्षों से निर्मित मकानों के नये होल्डिंग कायम करने हेतु एकमुश्त कर माफी योजना—AMNESTY SCHEME भी लागू है जो निम्न प्रकार है:—**

- पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित सभी मकान मालिकों को कानूनी-तौर-पर होल्डिंग टैक्स देना है।
- ऐसे मकान मालिक जिन्होंने वर्षों पूर्व मकान बना लिया है परन्तु होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उनके लिए बिना दण्ड के होल्डिंग कायम करने के लिए यह सुनहरा अवसर है।
- इस योजना की अन्तिम तिथि **28, फरवरी 2010** है।
- **28 फरवरी 2010 तक** अपना होल्डिंग दर्ज कराने के लिए स्व मूल्यांकन प्रपत्र भरकर आवेदन दे सकते हैं और सिर्फ वर्ष 2009-10 के लिए होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

**28 फरवरी 2010 के पश्चात् ऐसे मकान मालिक को निम्न दण्ड भोगना पड़ सकता है:—**

- जिस दिन से बिजली का कनेक्शन लिया है, उस दिन से होल्डिंग टैक्स की गणना करते हुये, कानून के आलोक में दण्ड की राशि वसूली की जा सकती है।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के संगत प्रावधानों के आलोक में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नागरिकों से अनुरोध है कि इस योजना का लाभ उठायें।

होल्डिंग टैक्स हेतु स्व-कर निर्धारण की भी योजना लागू की गयी है। स्व-कर गणना निम्न पर आधारित है:—

- (i) नगर क्षेत्र की सड़कों को तीन भागों में विभक्त किया गया है:—
  - (क) प्रधान मुख्य सड़क
  - (ख) मुख्य सड़क
  - (ग) अन्य सड़क
- (ii) होल्डिंग्स को निम्न तीन भागों में विभक्त किया गया है:—
  - (क) वाणिज्यिक या औद्योगिक
  - (ख) आवासीय
  - (ग) अन्य
- (iii) उपरोक्त श्रेणियों के होल्डिंग्स के अच्छादित भाग के क्षेत्रफल के आधार पर वार्षिक किराया दर निर्धारण किया गया है।
- (iv) होल्डिंग के वार्षिक किराया गणना हेतु दर तालिका निम्न प्रकार है:—

gkfyMx ds okf"kd fdjk; k ew; x.kuk grq nj rkfydk ¼ okf"kd nj i fr oxQhV : 0 e½									
Hkou dh cukov	i/kku eq; I Md ij gkfyMx			eq; I Md ij gkfyMx			vU; I Md ij gkfyMx		
	okf. kFT; d ; k vks  kfxd	vU;	vkokl h ;	okf. kFT; d ; k vks  kfxd	vU;	vkokl h ;	okf. kFT; d ; k vks  kfxd	vU;	vkokl h ;
(1)आर.सी.सी / पक्का छत	54	36	18	36	24	12	18	12	6
(2) एस्बेस्टस / कोरोगेटेड छत	36	24	12	24	16	8	12	8	4
(3) अन्य	18	12	6	12	8	4	6	4	2
नोट:वार्षिक किराया मूलयांकन का 1:(गृह-कर-2.5; जल-कर-2; मल-कर-2; स्वास्थ्य सेस-1.25; शिक्षा सेस-1.25)									

(v) सड़कों का वर्गीकरण निम्न अनुसार है:-

i/kku eq; I Md

क्रमांक	प्रधान मुख्य सड़क	सीमा बिन्दु
1	अशोक राजपथ	पश्चिम में नगर निगम सीमा से पूरब में दीदारगंज तीनमुहानी तक
2	राजेन्द्र पथ	चिरैयाटांड पुल चौराहा से राजधानी मार्केट बारी पथ तक
3	गाँधी मैदान के चारो तरफ का मार्ग	
4	एकजीबिशन रोड	चिरैयाटांड ओभरब्रीज से गाँधी मैदान तक
5	फ्रेजर रोड	स्टेशन गोलम्बर से गाँधी मैदान तक
6	डाकबंगला रोड	कोतवाली से एकजीबिशन रोड तक
7	भट्टाचार्या रोड	एकजीबिशन रोड से राजेन्द्र पथ तक
8	बेली रोड	कोतवाली थाना से पश्चिम नगर निगम सीमा तक
9	खगौल रोड	मीठापुर चौराहा से पश्चिम तरफ नगर निगम सीमा तक
10	स्टेशन रोड	चिरैयाटांड पुल से रेलवे जंक्शन गोलम्बर तक
11	हार्डिंग रोड	स्टेशन रोड गोलम्बर से चितकोहरा ओभरब्रीज तक
12	न्यू बाईपास रोड	खगौल रोड अनीशाबाद प्वाइन्ट से दीदारगंज चेकपोस्ट तक
13	बुद्धमार्ग	जी0पी0ओ0 गोलम्बर से लोदीपुर अशोक राजपथ तक
14	बीरचन्द पटेल पथ	हार्डिंग रोड से बेली रोड तक
15	बोरिंग रोड	बेली रोड से नगर निगम सीमा तक
16	बोरिंग कैनाल रोड	बेली रोड से अशोक राजपथ, राजापुल तक पूर्वी एवं पश्चिम भाग
17	एस0पी0वर्मा रोड	डाकबंगला रोड फ्रेजर रोड तक
18	कंकड़बाग पुरानी बाईपास	चिरैयाटांड पुल से पहाड़ी नया बाईपास तीन मुहानी तक
19	अब्दुल बारी पथ	गाँधी मैदान अपना बाजार से गाँधी चौक तक
20	रामकृष्ण ऐवेन्यू ( नाला रोड)	राजेन्द्र पथ पाटलीपुत्र टाइम्स से प्रेमचन्द गोलम्बर पुल के प्रारम्भ बिन्दु तक
21	आर्य कुमार रोड	अब्दुल बारी पथ के डेजी स्वीट्स से राजेन्द्र नगर पुल के प्रारंभ बिन्दु तक
22	मुसल्लहपुर हाट रोड(रामवृक्ष बेनीपुरी पथ)	भिखना पहाड़ी मोड़ से मुसल्लहपुर कब्रिस्तान तक
23	गाँधी सेतु रोड	गाँधी सेतु से दक्षिण नया बाईपास तीनमुहानी होते हुए पहाड़ी तक
24	शेरशाह पथ	ननमुहियाँ से पश्चिम दरवाजा तक

क्रमांक	मुख्य सड़क	सीमा बिन्दु
1	बाकरगंज बजाजा रोड	अशोक राजपथ से बारी पथ तक
2	बाकरगंज दलदली रोड	बारी पथ से उमा सिनेमा राजेन्द्र पथ तक
3	द्वारिकानाथ रोड	एकजीक्विशन रोड से दलदली रोड तक
4	कंकड़बाग पथ सं0 1	कंकड़बाग रोड बाइपास से चित्रगुप्त नगर रोड मोड़ तक
5	कंकड़बाग पथ सं0 2	कंकड़बाग पथ सं0-1 से टेम्पू स्टैंड तक
6	कंकड़बाग कोलनी के अन्तर्गत	राजेन्द्र नगर ओभरब्रीज से दक्षिण हनुमाननगर तक दोनों तरफ का रोड
7	चान्दमारी रोड	कंकड़बाग से पुराना बाइपास से चांदमारी रोड पम्प हाउस तक
8	चिरैयाटांड इंगलिस रोड	ओभरब्रीज से पोस्टललपार्क चौराहा
9	कर बिगहिया	चिरैयाटांड ओभरब्रीज से गया लाइन गुमटी होते हुए मेन रेलवे लाइन
10	गांधी पथ	गौरिया मठ जक्कनपुर डी0भी0सी0 तक
11	गया लाइन गुमटी से सिपारा गुमटी तक	जो रेल लाइन से समानान्तर है।
12	बैंक रोड	गांधी मैदान बिस्कोमान भवन से लोदीपुर
13	जमाल रोड	डाकबंगला रोड से स्टेशन रोड तक
14	गेरिया टोली रोड	स्टेशन रोड से शान्ति भवन तक
15	किदवईपुरी	
16	सहदेव मार्ग	
17	आशियाना दीघा रोड	
18	गेरियाटोली पथ	
19	गोलघर पार्क रोड	
20	डी लाल एण्ड सन्स के बगल से होटल अमर के आगे तक का पथ	
21	हार्डिंग रोड से समानान्तर न्यू मार्केट के भीतर का रोड एवं हार्डिंग रोड के दोनों ओर के सभी सम्पर्क पथ	
22	विधापति मार्ग	बेलीरोड से चीना कोठी तक
23	गुरुद्वारा रोड	फ्रेजर रोड मेघदूत होटल से गुरुद्वारा तक
24	एस.पीवर्मा रोड से सम्बंध पथ	डा0 असरफ के मकान के अन्त तक का सड़क
25	सिन्हा लाइब्रेरी रोड	फ्रेजर रोड ,एल.आई.सी. भवन तक का पथ
26	फ्रेजर रोड से एल.आई.सी के दक्षिण का सड़क,पश्चिम में सिन्हा लाइब्रेरी तक जाती है।	
27	स्मार्ट होटल फ्रेजर रोड के बगल का पथ बंदर बगीचा होते हुए डाकबंगला रोड तक आती है का पथ एवं इससे जुड़े पथ	
28	डा0 गुहा पथ	न्यू डाकबंगला रोड से एक्जिवीशन रोड तक एवं इसके अन्तर्गत के सड़क
29	हीरा प्लेस के पश्चिम का पथ	डाकबंगला रोड से सिन्हा लाइब्रेरी तक
30	कोतवाली थाना के पीछे का पथ	कोतवाली थाना से सिन्हा लाइब्रेरी रोड तक
31	स्टेशन रोड पर अग्रवाल वस्त्र कुटील तक आनन्द पथ तक का पथ	
32	एक्जिवीशन रोड से मिथिला मोड़ तक	

	का सड़क ५० अन्त तक	
33	बुद्धमार्ग में हिन्दुस्तान	
34	स्टेशन रोड से उत्तर की ओर कृष्णा मार्केट रोड के अन्त	
35	राजा मार्केट पथ	स्टेशन रोड ससे एक्विजिशन रोड तक
36	नेमा मार्केट पथ	एक्विजिशन रोड से नेमा पैलेस तक
37	कुल्हरिया हाउस पथ	एक्विजिशन रोड से कुल्हरिया हाउस तक
38	बिक्रम होटल के उत्तर भाग से पूरब जाती सड़क जायसवाल हाउस तक एवे इससे संबध पथ	
39	आहलूवालिया ट्रेडिंग से सटे उत्तर पश्चिम जाती सड़क अन्त तक	
40	एस.पी.वर्मा रोड से पूरब जाती सड़क जिसमें इंडियन लेबोरेटरिज का कार्यालय है।	
41	चाँदनी चौक का दोनो तरफ का सड़क	फ्रेजर रोड से जाकर पुनः फ्रेजर रोड पर निकलती है।
42	कंकड़बाग पुराना बाईपास से कंकड़बाग पथ	बहाई भवन से पश्चिम से जाती सड़क स० १ जोडने वाली पथ
43	कंकड़बाग पुराना बाईपास तिवारी बेचर से पूरब जाती सड़क से कंकड़बाग पथ संख्या-१को जोडने वाली पथ कंकड़बाग जे. सेक्टर विजय मार्केट से पश्चिम की ओर जाती सड़क रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय तक तथा संबध उत्तर की ओर जाती सड़के	
44	बिरला मंदिर रोड (डॉ. दामोदर प्र० पथ )	बंकीपुर डाकधर से हथुआ मार्केट बारी पथ तक
45	गोबिन्द मित्रा रोड	पी. सी. एच. से बारी पथ
46	मखनियां कुआँ रोड	पी.एम.सी.एच सेबारी पथ
47	डॉ. विधान चन्द राय पथ(खजांची रोड)	खुदा बक्स पुस्तकालय से बारीपथ स्थित गजधर मंदिर तक
48	भिखनदास ठाकुरबारी रोड	आम्रपाली होटल, राजेन्द्र पथ से हथुआ मार्केट बारी पथ
49	पृथ्वी राज पथ	राजेन्द्र नगर पुल के कांग्रेस मैदान पथ तक
50	रामपुर रोड	सेदपुर मेन डेन से कदमकुआं थाना तक
51	सब्जीबाग, दरियापुर रोड	लंगरटोली बारी पथ से सब्जीबाग रोड तक
52	चित्रगुप्त नगर रोड	बाईपास रोड से पी.आइ.टी. कॉलोनी तक
53	हनुमान नगर रोड	केन्द्रीय विद्यालय से एम.आइ.जी. कॉलोनी तक
54	लोहियानगर डिफेन्स कॉलोनी कंकड़बाग रोड	डिफेन्स कॉलोनी से योगीपुर पम्प हाउस तक की दोनों ओर की सड़क एवं पम्प हाउस से एल.आइ.जी तक की सड़क
55	महात्मा गांधी नगर रोड	पुराना बाईपास कांटी फैक्टरी से अवध अपार्टमेंट के रोड तक
56	बी.एम.दास रोड	खजांची रोड तिनमुहानी से रमना रोड तक
57	एनीबेसेन्ट रोड	अशोकराजपथ पटना कॉलेज मुख्य द्वारा से बी.एम.दास रोड के मनोरमा विद्यापीठ तक
58	कुनकुन सिंहलेन	अशोकराजपथ इलाहाबाद बैंक से अब्दुलबारी पथ कबिस्तान तक
59	संदलपुर रोड	मुहम्मदपुर कब्रिस्तान से कुम्हरार गुमटी तकखनिचरा अखाड़ा होकर
60	सैदलपुर रोड	अब्दुलबारी पथ से बहादुरपुर गुमटी तक
61	रमना रोड	अशोक राजपथ में बारी पथ तक
62	कांग्रेस मैदान पथ	नाला रोड से पृथ्वी राज पथ मोड़ तक(महात्मा गांधी उच्च विद्यालय तक
63	दरगाह रोड	पत्थर की मस्जिद से बनवारी चौक तक
64	अनुग्रहनारायण पथ	राजेन्द्र पथ पवतरी चौक से कांग्रेस मैदान तक
65	मथुरा पसाद सिन्हा पथ	राजेन्द्र पथ के गणेश पाठशाला से कांग्रेस मैदान तक
66	नवल किशोर पथ	राजेन्द्र पथ के शब्जी मंडी से दलदली रोड तक

67	जनक किशोर पथ	राजेन्द्र पथ के साहित्य सम्मेलन से दलदली रोड तक
68	नवाब बहादुर रोड	अशोक राजपथ से सुदर्शन पथ तक
69	नई सड़क रोड(गुरु गोविन्द सिंह पथ)	अशोक राजपथ सिटी चौक से सिटी रेलवे स्टेशन तक
70	मुर्चा रोड	अशोक राजपथ से पटना सिटी स्टेशन तक
71	मंसूरगंज लेन	अशोक राजपथ से मंसूरगंज मंडी तक की सड़कें
72	खजेकला घाट रोड	अशोक राजपथ से गंगा घाट तक
73	रामबाग लेन	अशोक राजपथ से गंगा घाट तक
74	चमडोरिया रोड	अशोक राजपथ से कीला हाउस तक
75	कुम्हार संदलपुर रोड	पुरानी बाईपास से दरगाह रोड तक
76	नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रोड	पुराना बाईपास रोड पर अगमकुआं रेलवे क्रॉसिंग से दन्त महाविद्यालय तक
77	गुलजारबाग स्टेशन रोड	शेरशाह पथ से गुलजारबाग स्टेशन तक
78	सदर गली रोड	अशोक राजपथ से सुदर्शन पथ तक
79	मारुफगंज रोड	अशोक राजपथ से मारुफगंज मंडी तक की सड़कें
80	मच्छरहट्टा गली रोड	अशोक राजपथ से कैलाश मंदिर तक
81	तुलसी मंडी रोड	पुराना बाईपास से रेलवे क्रॉसिंग से गुलजारबाग टेम्पो स्टैण्ड तक
82	बिस्मोमान सड़क	अशोक राजपथ से बिस्कोमान कॉलोनी होते हुए कुम्हार गुमटी तक
83	हाजीगंज रोड	अशोक राजपथ से प्रदीप लैम्प केमालिजक के घर तक
84	पटना घाट रोड	अशोक राजपथ से मालसलामी रेलवे गॉसिंग से पिरदमरिया तक
85	सिटी हॉस्पिटल रोड	अशोक राजपथ से टिी हॉस्पिटल तक
86	चिमनी घाट रोड	अशोक राजपथ से चौक थाना होते हुए गंगाघाट तक
87	हरिमंदिर गली	अशोक राजपथ से सुपूर्ण हरमंदिरगली
88	दुदर्शन पथ	गुलजारबाग स्टेशन से चौकशिकारपुर तक

VII; I Md

सभी अन्य सड़कें / गलियाँ

(vi) उपरोक्त वार्षिक किराया मूल्यांकन के आधार पर निम्न अनुसार टैक्स देय होगा:-

9% होगा यदि सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था से जल-नल संबंध हो,

8.2% होगा यदि जलापूर्ति व्यवस्था निजी हो, पर 400 गज की परिसीमा में सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था उपलब्ध हो।

7% होगा यदि 400 गज की परिसीमा में सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था नहीं हो।

(vii) नमूने के आधार पर स्व-कर गणना निम्न अनुसार किया जा सकता है:-

gkfYMX dh fLFkfr	fuekl k dk i xdkj	gkfYMX dk mi ; kx	Q' kl dk {ks=Qy %oxDhV½	nj ¼: 0½	okf"kd fdjk; k eW; ka du	okf"kd fuxe& dj
प्रधान मुख्य सड़क	आर0सी0सी0	व्यावसायिक	500	54	27000	2430
मुख्य सड़क	आर0सी0सी0	व्यवसायिक	200	36	10800	972
		आवासीय	300	12		
अन्य सड़क	आर0सी0सी0	आवासीय	500	6	3000	270

(viii) यदि आपके होल्डिंग वेबसाइट पर नहीं है तो स्व-कर निर्धारण वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकेगा। इसके लिए प्रक्रिया निम्न आधारित है:-

- Open [www.patnanagarnigam.org](http://www.patnanagarnigam.org)
- Once website gets opened click on e-Services->Revenue-> Register My Property
- Fill all the details and save your property.
- You will get your unique id number. Use this id for future transactions.
- Using this unique id search your holdings under e-Services->Revenue->My Property Account. You can search your holding circle wise, revenue circle wise or holding wise.

Once you get you holding

- click on the Action Button-> View Details for knowing Your property details. (Note down your unique id for future transactions)
- click on the Action Button-> Manage Tax for calculating your property tax. Select the from year and To Year and calculate your Property Tax. Get your demand(Note down your unique id for future transactions)

(ix) नागरिकों से अनुरोध है कि होल्डिंग टैक्स की गणना को निगम के वेबसाईट पर देख लें यदि उनके होल्डिंग की विवरणी अंकित नहीं है तो स्व-कर निर्धारण प्रपत्र में भवन से संबंधित अपेक्षित सूचना भर कर संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करा दें।

स्व-कर निर्धारण योजना के संबंध में प्रपत्र निम्नवत् है, जिसे सादे कागज पर टंकित करा कर अथवा कार्यालय से प्राप्त कर भरा जा सकता है।

i Vuk uxj fuxe

स्व-कर-गणना प्रपत्र

- गृह स्वामी का नाम –  
पिता /पति का नाम–
- वार्ड संख्या –  सर्किल संख्या –  होल्डिंग संख्या –  (नए मकान के लिए नया लिखें)
- मुहल्ला  पथ का नाम   
पूर्ण पता – .....
- होल्डिंग की अवस्थिति–  
प्रधान मुख्य सड़क  मुख्य सड़क  अन्य सड़क
- होल्डिंग का उपयोग –  
आवासीय  वाणिज्यिक या औद्योगिक  आंशिक आवासीय/वाणिज्यिक/ औद्योगिक  अन्य
- निर्माण का प्रकार –  
आर.सी.सी./पक्का  एस्बेस्टस /कारोगेटेड छत  अन्य
- जलापूर्ति व्यवस्था–  
जल पार्षद से  निजी  400गज की परिसीमा में जलापूर्ति है या नहीं
- वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के लिए क्षेत्रफल की माप  
(1) कमरा (लंबाई x चौड़ाई = क्षेत्रफल )  
आवासीय अंश  वाणिज्यिक अंश  अन्य अंश   
(2) छज्जा/गलियारा, रसोईघर और भण्डारघर (लंबाई x चौड़ाई = क्षेत्रफल का 50% )  
(3) गैरेज (लंबाई x चौड़ाई = क्षेत्रफल का 25% )
- फर्ष क्षेत्रफल का कुल योग  
आवासीय  वाणिज्यिक  अन्य
- वार्षिक किराया मूल्यांकन–  
क्षेत्रफल दर वार्षिक कि0मूल्य0  
आवासीय  X  =   
वाणिज्यिक  X  =   
अन्य  X  =   
कुल वार्षिक किराया मूल्यांकन (क +ख +ग ) =

11. निर्मित भवन/अतिरिक्त निर्माण कब से उपयोग में है

उपयोग की अवधि (तिमाहियों की संख्या में)

12. वार्षिक निगम कर = वार्षिककिराया मूल्यांकन का 9%या 8.2%या 7 %=

तिमाही कर = वार्षिक निगम कर चौथाई=

13. कुल देय निगम –कर की राशि

तिमाही कर x तिमाहियों की संख्या=

14. अभ्युक्ति (स्वामित्व संबंधी विवरणी)–

15. गृह–स्वामी की घोषणा:–

मैं यह घोषणा करता/हूँ कि इस प्रपत्र में दी गई सभी सूचानाएँ सही हैं। ये सूचानाएँ गलत होने पर मैं होने पर मैं कानूनी कार्रवाही का भागी बँूँगा /बँूँगी।

गृह–स्वामी का हस्ताक्षर

उपयुक्त प्रपत्र में स्थिति के अनुसार निषान (√) अंकित करें।

(x) निर्धारित तिथि तक बकाया नहीं देने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी जिसके सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निम्न कार्रवाई हो सकती है:–

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| (a) आर्थिक दंड (2% मासिक दर से) | (b) जल नल विच्छेदन     |
| (c) होल्डिंग की कुर्की जब्ती    | (d) होल्डिंग की निलामी |
| (e) Body warrant                |                        |

पटना नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त योजना का लाभ उठाएँ। स्वकर की गणना हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित प्रपत्र अथवा हस्तलिखित प्रपत्र का उपयोग किया जा सकता है तथा स्वकर का आंकलन कर होल्डिंग कर की राशि का भुगतान सीधे पटना नगर निगम के संबंधित अंचल में किया जा सकता है। कर भुगतान के पश्चात् नगर निगम द्वारा इसकी प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

यह विज्ञापन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

नगर विकास एवं आवास विभाग